समाचार–प्रकाशनार्थ :–

कर्म को अपनाए, शहर को स्वच्छता में नम्बर–1 बनाए

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा

रतलाम 9 अप्रैल । हर कार्य तभी सफल होता है जब इसकी शुरुवात पावन कर्म व मन के साथ की जाएगा। शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर–1 बनाने के लिए शुरु किए गए स्वच्छता के इस महाअभियान सभी की भागीदारी बराबरी की होगी तो स्वच्छता की दौड़ में नम्बर– 1 बनाने से हमे काई नही रोक पाएगा।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण –2022 के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की गत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। उन्होने कहां कि इस समय नवरात्रि पर्व एवम पवित्र रमजान का माह चल रहा है, हमे रतलाम को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में ईश्वर जरूर सफलता प्रदान करेगा क्योंकि कर्म ही हमारा भगवान है और इसे पूजा समझकर हम सब लोगो को निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, फल स्वरूप रतलाम नगरनिगम को फाइव स्टार एवम एक हजार से अधिक अंक मिलने से कोई नई रोक सकता है।

निगम आयुक्त श्री झरिया ने कहा की सफाई मित्र एवं दरोगा को अपने वार्ड स्तर से उठकर पूरे शहर को अपना मानना होगा। हमे अपनी पूरी ताकत सफाई में झोकना होगी। हमारी टीम में दरोगा सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वार्ड के लोग एवं दरोगा यदि ठान लेते हे तो हमे अच्छे मार्क्स मिलेगे और 5 स्टार रेटिंग भी मिलेगी। श्री झरिया न कहा की कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रेष्ठ कार्य करने वाले दरोगा को इनाम राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। श्री झरिया ने कहा की मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नही है, सफाई को लेकर कोई भी यदि लापरवाही करेगा तो उसे कठोर सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफाई क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि कचरे से खाद बनाकर उसका सदुपयोग करना है। श्री झरिया ने पूरे शहर की बात करते हुए कहा की ओपन प्लॉट हो, नाले हो या सार्वजनिक स्थल हो कही पर भी सॉलिड वेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। रोज सुबह खुले में शौच करने वालो पर कड़ी कारवाही होना चाहिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी. के. जायसवाल, सहायक यंत्री सर्वश्री श्याम सोनी, सत्यप्रकाश आचार्य, एम.के. जैन, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, नीजि सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री जगदीश पांचाल, स्वच्छता मिशन के प्रोजेक्टर इंचार्ज मोहित आदि मौजूद थे।

9 अप्रैल शनिवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 8 अप्रैल शुक्रवार को 101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

9 अप्रैल शनिवार को डम्पर से 20725 किलो, ट्रेक्टर से 11260 किलो, मैजिक सूखा कचरा 47415 किलो, मैजिक गीला कचरा 22450 किलो, सेनेटरी वेस्ट 4 किलो व हानिकारक कचरा 2.8 इस तरह कुल 101946.8 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना सूचना के अनुपस्थित 4 ड्रायवर व 5 हैल्पर का एक दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का दिया कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक दिनेश परमार, सुन्दर परमार, बलराम छपरी, राकेश वर्मा, हैल्पर हिम्मत, सुनील, भवानी खरे, लखन चावरे, विक्की–दिनेश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

निरंतर कार्य में लापरवाही बरतने पर पशु वाहन के 4 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

रतलाम 9 अप्रैल । नगर की सड़को, चौराहों सहित अन्य स्थानों पर स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने हेतु गठित दल के कर्मचारियों द्वारा मवेशियां को नहीं पकड़ने व कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नियुक्त कमचारी चरणसिंह–भारतसिंह, मेहफुज–कालेखां, रामा व पूनमचन्द–रतन को सेवा से बर्खास्त किया गया।

उपयंत्री चौधरी व पंडित का माह अप्रैल का वेतन रोका

रतलाम 9 अप्रैल । विगत कई दिनों से शहर की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाने, गड़बड़ाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं लाने तथा पेयजल वितरण को जानकारी वायरलैस सेट पर लिये जाने पर कोई जवाब नहीं दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री सामनाथ झारिया के निर्देशानुसार उपयंत्री श्री सुहास पंडित व श्री भैय्यालाल चौधरी का अप्रैल माह का 30 दिवस का वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 15.83 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 9 अप्रैल । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 8 अप्रैल शुक्रवार को कुल राशि रूपये 15,83,677/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 8 अप्रैल शुक्रवार को संपत्तिकर 200000, जलकर कार्यालय से 739315, वसूली दल 90930 कुल 830245 दुकान गुमटी किराया कार्यालय 47036, वसूली दल 13783 कुल 60819, स्पॉट फाईन 8550, लायसेंस 1500, लीजरेंट 482563 इस तरह कुल राशि रूपये 15,83,677/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 9 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 9 अप्रैल शनिवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अंकित राठौड़ पर 500, राठौड़ रेस्टोरेंट व रवि राठौड़ पर 250–250, किशोर कुमार, निर्मल गिरी, देवेन्द्र पोखरना, जाट रेस्टोरेंट, सुनील पर 200–200, अर्पित व सुरभी रेस्टोरेंट पर 100–100 व अम्बर पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

32 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 9 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 20 व दोपहर में 12 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

9 अप्रैल शनिवार को झोन क्रमांक 1 में शांतिबाई पति सुरेश, अजय–विनोद, बादल–दिलीप, सचिन–रामसेवक, विजय–फुलचन्द, विक्की–दिनेश, झोन क्रमांक 2 में सोमदीप–सुदेश, बबीताबाई पति कमल, विमलाबाई पति नारायण, श्यामाबाई पति कन्हैया, सुगनाबाई पति शंकर, बाबुलाल–कन्हैया, राकेश–सोहन, विरेन्द्र–शिवपाल, कमल–सुरेश, मनीष–दुलीचन्द, राकेश–रामप्रसाद, संजय–बच्चु, कन्हैया–कमल, दीपक–राजु, दोपहर की

शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में लताबाई पति संजय, सुशीलाबाई पति गोवर्धन, बिहारी–आनन्द, रवि–सुरेश, मनोज–भाईजीभाई, सुलोचनाबाई पति बेजू, शिवकन्या पति रमेश, श्यामाबाई पति रामलाल, झोन क्रमांक 3 में बीनाबाई पति कोमल, धर्मेन्द्र–रामचन्द्र, नरेन्द्र–कन्हैया व झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र–गोपाल इस तरह 32 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रांगोली स दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 9 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वालो रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ–स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 9 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 9 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जान हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना हो भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयाग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र
नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 9 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 9 अप्रल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निमित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं करान वाले श्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 9 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेत नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संगहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कायवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया ह कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 9 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनान हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों का हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 09.04.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.